



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3221]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940

No. 3221]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

**का.आ. 4023(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुसूची स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

## तालिका

क्र. सं. (1)	नई रारा सं. (2)	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण (3)
532	227एफ	बिहार राज्य में चकिया (चोरमा चौक) के निकट रारा-227 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पकड़ीदयाल, ढाका, फुलवरिया घाट को जोड़ते हुए और इंडो/नेपाल सीमा के निकट बैरगनिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
533	227जे	बिहार राज्य में सहारघाट के निकट रारा-227 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उच्चयित, बेनीपट्टी को जोड़ते हुए और राधिका के निकट रारा-527बी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
534	227एल	बिहार राज्य में उमागांव के निकट रारा-227 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बासोपट्टी को जोड़ते हुए और कलनाही के निकट रारा-527बी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/27/2014-पी एण्ड एम (पार्ट-7)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 3255(अ), दिनांकित 5 जुलाई, 2018 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2018

**S.O. 4023(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a National Highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be National Highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new National Highways numbers and the description of the National Highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

**TABLE**

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
532	227F	The highway starting from its junction with NH- 227 near Chakia (Chorma chowk) connecting Pakridayal, Dhaka, Phulwaria Ghat and terminating at Bairania in the State of Bihar near Indo / Nepal Border.
533	227J	The highway starting from its junction with NH- 227 near Saharghat connecting Uchhait, Benipatti and terminating at its junction with NH- 527B near Rahika in the State of Bihar
534	227L	The highway starting from its junction with NH- 227 near Umagaon connecting Basopatti and terminating at its junction with NH- 527B near Kalnahi in the State of Bihar.

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M (pt-7)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote :** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 3255

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

**का.आ. 4024(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 269 और 88 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

**तालिका**

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
269	527ए	बिहार राज्य में पोखरौनी चौक के निकट रारा-527बी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मधुवनी, रामपट्टी, झंझारपुर, <b>सामे चौक, अवाम, लौफा, भेजा, बकौर</b> को जोड़ते हुए <b>और परसरमा के निकट रारा-327 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला</b> राजमार्ग।
88	327 विस्तार	बिहार राज्य में रारा-327 (प. बं./बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज, रानीगंज, बहादुरगंज, अररिया, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल, (बरियाही बाजार) <b>बनगांव</b> को जोड़ते हुए <b>और महेशी (तारापीठ) पर समाप्त होने वाला</b> राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/27/2014-पी एण्ड एम (पार्ट-7)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण:** मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार सं. का.आ.3255 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2018

**S.O. 4024(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial numbers 269 & 88 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

**TABLE**

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
269	527A	The highway starting from its junction with new NH No.527 B near Pokhrauni Chowk connecting Madhubani, Rampatti, Jhanjharpur, <b>Samey Chowk, Awam, Laufa, Bheja, Bakaur and terminating at its junction with NH No. 327 near Parsarma in the State of Bihar.</b>
88	327 Extension	The highway starting from Galgalia on N.H-327 (W.B/Bihar) Thakurganj, Raniganj, Bahadurganj, Araria, Bhargama, Tribeniganj, Pipra, Supaul, (Bariyahi Bazar) <b>Bangaon and terminating at Maheshi (Tarapeeth) in the State of Bihar.</b>

[F. No. NH-14012/27/2014-P&amp;M (pt-7) ]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Foot note:**—The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O.3255 dated the 5th July, 2018.